फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**श्री देवीलाल गायरी**
किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 जा.दी. एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी

विपक्षी :–**श्री भगवानलाल गायरी**
पत्रावली संख्या :–**13/25 विविध**
जीसीएमएस नम्बर :–**2025/63**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 12.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 जा.दी. एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रार्थीगण द्वारा ग्राम दुदालिया पटवार हल्का चंगेड़ी, तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 406 रकबा 0.7689 हैक्टेयर कृषि भूमि पर पहूंचने के लिये 20 फीट चौड़ा मार्ग आराजी नम्बर 420 तथा इसके आगे की आराजी नम्बर 804/407, 805/407, 806/407 में से रास्ता चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर होकर प्रकरण संख्या 04/21 विचाराधीन था। जिसमें आदेश दिनांक 15.01.2025 को पारिज किया गया। प्रार्थीगण उक्त आदेश दिनांक 15.01.2025 का पुनरावलोकन किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत था। जिसमें केवल मात्र प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने हेतु रास्ता नही होने की स्थिति में रास्ता कायम किया जाना था। रास्ते के प्रकरण में कॉज ऑफ एक्शन लागू नही होता है। यदि प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंच मार्ग नही है तो प्रार्थीगण रास्ते हेतु आवेदन पुनः कर सकते है। ऐसे स्थिति में पूर्व के प्रकरण को अवलोकन कर पुनः रिओपन करने की आवश्कता नही है। प्रार्थीगण को रास्ता चाहिए तो इसके लिए नया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 जा.दी. एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी नया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश करने की स्वीकृति देते हुए खारिज किया जाना उचित है। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 जा.दी. एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी का मेंटेबल नही होने से खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया। (रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2026.04.16 15:51:27 IST Reason: SelfAttested	